



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032026-271028
CG-DL-E-18032026-271028

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 184]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 17, 2026/फाल्गुन 26, 1947

No. 184]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 17, 2026/PHALGUNA 26, 1947

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2026

सा.का.नि. 190(अ).— कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिन्हें केंद्रीय सरकार कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की, जिनकी उससे प्रभावित होने की सम्भावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में, यथाप्रकाशित, इस अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो तीस दिन की पूर्वोक्त अवधि के समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियम के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

उक्त मसौदा नियमों के संदर्भ में, आपत्तियां तथा सुझाव संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को अथवा muktanand.ias08@nic.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाएँ।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ- (1) इन नियमों को कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कीटनाशी नियम, 1971 (इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा जाएगा) में,

(i) नियम 10 के उप-नियम 3 में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा गया है:-

“बशर्ते कि यदि बिक्री का स्थान या बिक्री के लिए स्टॉक एक से अधिक स्थानों पर हो, तो लाइसेंस अधिकारी के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी क्षेत्रों के लिए एक ही आवेदन किया जाएगा और ऐसे सभी क्षेत्रों और प्रत्येक कीटनाशक के लिए एक ही लाइसेंस जारी किया जाएगा।”

(ii) नियम 10 के उप-नियम (4) के खंड (iii) को इस प्रकार संशोधित किया जा सकता है:-

जहां लाइसेंस धारक लाइसेंस की अवधि के दौरान किसी अतिरिक्त कीटनाशक को बेचना, स्टॉक करना या बिक्री के लिए प्रदर्शित करना या वितरित करना चाहता है, तो वह उप-नियम (2) में निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर लाइसेंस पर अपेक्षित अनुमोदन हेतु लाइसेंस अधिकारी को आवेदन कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, लाइसेंस धारक उप-नियम (2) में निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर लाइसेंस अधिकारी के क्षेत्राधिकार में आने वाले किसी भी अतिरिक्त बिक्री स्थान या बिक्री के लिए स्टॉक के अनुमोदन के लिए लाइसेंस अधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(iii) नियम 10 के उप-नियम (4क) के खंड (i) को इस प्रकार संशोधित किया जा सकता है:-

कीटनाशकों के संचालन या बिक्री, भंडारण या बिक्री के लिए प्रदर्शन या वितरण हेतु लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, उस प्रमुख व्यक्ति से फॉर्म VI-डी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है या करने की इच्छा रखता है।

इसके अतिरिक्त, कीटनाशकों के संचालन या बिक्री, भंडारण, या बिक्री के लिए प्रदर्शन या वितरण हेतु लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ नामांकन प्रमाण-पत्र भी दाखिल किया जा सकता है, बशर्ते नामांकित व्यक्ति उप-नियम (1क) [फॉर्म II का परिशिष्ट I] के अंतर्गत विहित शैक्षणिक अर्हता रखता हो।

इसके अतिरिक्त, उप-नियम (4)(iii) के अंतर्गत लाइसेंस से संबंधित अनुमोदन हेतु आवेदन के साथ व्यक्ति नामांकन प्रमाण-पत्र दाखिल कर सकता है, बशर्ते नामांकित व्यक्ति के पास उप-नियम (1क) [फॉर्म II का परिशिष्ट I] के अंतर्गत विहित शैक्षणिक अर्हता हो।

(iv) नियम 10 के उप-नियम (2) को इस प्रकार संशोधित किया जा सकता है -

उप-नियम (1) के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करने के लिए देय शुल्क प्रत्येक कीटनाशक के लिए पांच सौ रुपये होगा जिसके लिए लाइसेंस अधिकतम सात हजार पांच सौ रुपये के अधीन है, आवेदन किया गया है। यदि कोई कीटनाशक एक से अधिक स्थानों पर बेचा, भंडार किया जाता है या बिक्री के लिए प्रदर्शित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थान के लिए पृथक शुल्क होगा।

बशर्ते कि घरेलू उपयोग के लिए सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले और इस प्रकार

पंजीकृत कीटनाशकों के संबंध में देय अधिकतम शुल्क प्रत्येक स्थान के लिए सात हजार

पांच सौ रुपये होगा:

इसके अतिरिक्त, यदि बिक्री का स्थान ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है, तो शुल्क इस नियम में निर्दिष्ट शुल्क का पांचवां हिस्सा होगा।

परंतु, यदि लाइसेंस धारक लाइसेंस की अवधि के दौरान किसी अतिरिक्त कीटनाशक को बेचना, भंडारित करना, या बिक्री के लिए प्रदर्शित करना या वितरित करना चाहता है, या बिक्री के लिए कोई अतिरिक्त स्थान या बिक्री के लिए स्टॉक स्थापित करना चाहता है, तो वह प्रत्येक कीटनाशक के लिए एक सौ रुपये और सभी कीटनाशकों के लिए अधिकतम दो हजार रुपये के शुल्क के साथ लाइसेंस अधिकारी को लाइसेंस पर आवश्यक अनुमोदन के लिए आवेदन कर सकता है। साथ ही, यदि अनुमोदित किया जाने वाला बिक्री स्थान ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित है, तो शुल्क निर्धारित शुल्क का पांचवां हिस्सा होगा।

(v) अनुसूची I के परिशिष्ट के पश्चात परिशिष्ट I को जोड़ा जाएगा -

परिशिष्ट I**नामांकन प्रपत्र**

(जहाँ लागू हो, आवेदन के साथ संलग्न करें)

[नियम 10 के उप-नियम (4ए) के खंड (i) का संदर्भ लें]

मैं, _____ अपने परिवार के सदस्य/सदस्यों को, जो नीचे उल्लिखित हैं, मेरे मृत्यु की स्थिति में मेरे वर्तमान में धारित लाइसेंस संख्या (प्रति संलग्न) के हस्तांतरण हेतु नामित करता/करती हूँ।

1. नामित व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम और पूरा पता*: (1)

(2)

(3)

[*नोट: लाइसेंस धारक से पहले नामित व्यक्ति/व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, नामित व्यक्ति का अधिकार नामांकन के क्रम में हस्तांतरित होगा/होगी]

2. लाइसेंस धारक से संबंध

3. नामित व्यक्ति/व्यक्तियों की आयु

4. नामित व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण के रूप में प्रति संलग्न करें)**

[**नोट: झूठे दावों की स्थिति में नामांकन अमान्य हो जाएगा]

दिनांक _____ 20 _____ को _____ में

लाइसेंस धारक के हस्ताक्षर

दो गवाहों के हस्ताक्षर

1. नाम और पता _____ हस्ताक्षर _____

2. नाम और पता _____ हस्ताक्षर _____ "

नोट 1: परिवार का अर्थ है:-

(i) पुरुष लाइसेंस धारक के मामले में, पत्नी, माता-पिता, बच्चे, नाबालिग भाई, अविवाहित बहनें, मृत पुत्र की विधवा और बच्चे, और यदि लाइसेंस धारक का कोई भी माता-पिता जीवित नहीं है, तो दादा-दादी।

(ii) महिला लाइसेंस धारक के मामले में, पति, माता-पिता, बच्चे, नाबालिग भाई, अविवाहित बहनें, मृत पुत्र की विधवा और बच्चे, और यदि लाइसेंस धारक का कोई भी माता-पिता जीवित नहीं है, तो दादा-दादी।

नोट 2: बच्चे का अर्थ वैध संतान है और इसमें गोद लिया हुआ बच्चा भी शामिल है, यदि लाइसेंस धारक पर लागू व्यक्तिगत कानून द्वारा गोद लेने को मान्यता प्राप्त है, जो लाइसेंस धारक के साथ रहता है और परिवार के सदस्य के रूप में माना जाता है, और जिसे लाइसेंस धारक ने एक विशेष वसीयत के माध्यम से स्वाभाविक रूप से जन्मे बच्चे के समान दर्जा दिया है।

[फा.सं. 13029/01/2025-पीपी-1]

मुक्तानंद अग्रवाल, संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण)

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1650 (अ), तारीख 19 अक्तूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. सं. 139 (अ) तारीख 19 फरवरी, 2026 द्वारा अंतिम बार संशोधन किए गए।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**(Department of Agriculture and Farmers Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th March, 2026

G.S.R. 190(E).—The following draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), is hereby published, as required by the said section, for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rule shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

Objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rule before the expiry of the aforesaid period of thirty days will be considered by the Central Government;

Objections or suggestions in respect to the said draft rule may be forwarded to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001 or through email at muktanand.ias08@nic.in.

Draft Rules

1. **Short Titles and commencement.**— (1) These rules may be called the Insecticides (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Insecticides Rules, 1971 (hereinafter referred to as the said rules),

(i) in sub-rule 3 of Rule 10 following proviso is inserted :-

“Provided that if the place of sale or stock for sale is at more than one place, a single application shall be made for all such areas falling within the jurisdiction of the licensing officer and a single licence shall be issued in respect of all such areas and for every insecticide.”

(ii) clause (iii) of sub-rule (4) of Rule 10 may be amended as -

Where the licensee wants to sell, stock or exhibit for sale or distribute any additional insecticides during the currency of the licence, he may apply to the licensing officer for necessary endorsement on the licence on payment of fees specified in sub-rule (2).

Further, the licensee may apply to the licensing officer for endorsement of any additional place of sale or stock for sale falling within the jurisdiction of the licensing officer on payment of fees specified in sub-rule (2).

(iii) clause (i) of sub-rule (4A) of Rule 10 may be amended as -

Every person shall along with his application for grant of a licence to undertake operation or sell, stock or exhibit for sale or distribute Insecticides, file a certificate from the principal whom he represents or desires to represent the Form VI-D.

Further, the person may along with his application for grant of a licence to undertake operation or sell, stock or exhibit for sale or distribute Insecticides, file a nomination certificate provided the nominee holds the education qualification as prescribed under sub-rule (1A) [Appendix I to Form II]

Further also, the person may along with his application for endorsement on a licence under sub-rule (4)(iii) file a nomination certificate provided the nominee holds the education qualification as prescribed under sub-rule (1A) [Appendix I to Form II]

(iv) sub-rule (2) of Rule 10 may be amended as -

The fee payable under sub-rule (1) for grant of a licence shall be rupees five hundred for every insecticide for which the licence is applied subject to maximum rupees seven thousand five hundred. There shall be a separate fee for each place, if any insecticide is sold, stocked or exhibited for sale at more than one place:

PROVIDED that the maximum fee payable in respect of insecticides commonly used for household purposes and registered as such shall be rupees seven thousand five hundred for every place:

PROVIDED further that, if the place of sale is established in the rural areas, the fee shall be one fifth of the fee specified in this rule.

PROVIDED further also where the licensee wants to sell, stock or exhibit for sale or distribute any additional insecticides or wants any additional place of sale or stock for sale during the currency of the licence, he may

apply to the licensing officer for necessary endorsement on the licence on payment of fees of Rupees one Hundred for every insecticide and a maximum of rupees two thousand for all insecticides for which endorsement is applied. Also that if the place of sale to be endorsed is established in the rural areas the fee shall be one-fifth of the specified fee."

(v) Appendix I to be inserted after Appendix of Schedule I as -

"APPENDIX I

NOMINATION FORM

(enclose with application wherever applicable)

[Refer clause (i) of sub-rule(4A) of rule 10]

I, _____ hereby nominate the person(s) mentioned below who is / are member (s) of my family to transfer the licence no that I am currently holding (copy enclosed), in the event of my death.

1. Name and full address of the nominee(s)* : (1)

(2)

(3)

*[*Note: right of nominee shall pass in chronology of nomination in the event of his/her predeceasing the Licence holder]*

2. Relationship with the Licence holder

3. Age of the nominee(s)

4. Educational Qualification of the Nominee (enclose copy as proof)**

*[**NOTE: nomination will become invalid in case of false claims]*

Dated this _____ day of 20 _____ at _____

Signature of the Licence Holder

Two Witnesses to Signature

1. Name and Address _____ Signature _____

2. Name and address _____ Signature _____ "

Note 1: Family means:-

(i) in the case of a male licensee, the wife, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parent of the Licensee is alive a paternal grandparent.

(ii) In the case of a female Licensee, the husband, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parent of the Licensee is alive a paternal grandparent.

Note 2 : Child means legitimate child and includes an adopted child where adoption is recognized by the personal law governing the Licensee who lives with the Licensee and is treated as a member of the family and to whom the Licensee has, through a special will, given the same status as that of a natural born child.

[F. No. 13029/01/2025-PP-I]

MUKTANAND AGRAWAL, Jt. Secy. (Plant Protection)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1650 (E), dated the 19th October, 1971 and was last amended vide G.S.R 139 (E) dated 19th February, 2026